प्रारंभिक परीक्षा

लोकपाल अधिनियम का कार्यान्वयन और कार्यप्रणाली

संदर्भ

भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस पहली बार 16 जनवरी को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

लोकपाल के बारे में -

- **यह सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की पूछताछ और जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।**
- **संघटन:**
    - **अध्यक्ष**(भारत के सेवानिवृत्त/सेवारत मुख्य न्यायाधीश/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अधिनियम में निर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता हो)
    - अधिकतम **8 सदस्य जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे।**
    - लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक** और **महिलाएं होनी चाहिए**।
    - **कार्यकाल: 5 वर्ष** या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **लोकपाल की नियुक्ति:** राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
    - **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में
    - **सदस्य:** लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता तथा चयन समिति के सदस्य।
- **लोकपाल (संशोधन) अधिनियम 2016:** मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति का सदस्य बनने की अनुमति देता है।

शिकायत और जांच के आंकड़े

- **दोषरहित शिकायतें दर्ज की गईं**: पांच वर्षों में **2,320 (अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 226 शिकायतें**)।
- **शिकायतों की अस्वीकृति**: लगभग **90% शिकायतें** सही प्रारूप में न होने के कारण खारिज कर दी गईं।
- **पांच वर्षों में लोकपाल ने: 24 मामलों में जांच के आदेश दिए और 6 मामलों** में अभियोजन की मंजूरी दी।
- **शिकायतों का स्रोत**:
    - **3%** प्रधानमंत्री, संसद सदस्यों या केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध।
    - **21%** केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी, सी या डी अधिकारियों के खिलाफ हैं।
    - **35%** केन्द्रीय सरकारी निकायों के अध्यक्षों या सदस्यों के विरुद्ध।
    - **41%** राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अन्य के विरुद्ध।

समय-सीमित क्षेत्राधिकार: शिकायतों पर तभी विचार किया जाएगा जब वे कथित अपराध के 7 वर्ष के भीतर दायर की गई हों (लोकपाल अधिनियम की धारा 53)।

लोकपाल के कामकाज में समस्याएं

- **विलंबित नियुक्तियाँ:**

- **प्रथम लोकपाल: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष** को मार्च, 2019 में नियुक्त किया गया था, वह मई, 2022 में सेवानिवृत्त हुए।
- **दूसरा लोकपाल**: न्यायमूर्ति **एएम खानविलकर (सेवानिवृत्त) को मार्च 2024** में नियुक्त किया गया।

- **जांच निदेशक:**
  - केंद्र सरकार को कई प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद **जांच निदेशक** और **अभियोजन निदेशक** सहित प्रमुख प्रशासनिक पद रिक्त हैं।
  - **धारा 11 ए सीवीसी अधिनियम, 2003 में** जांच निदेशक (रैंक: संयुक्त सचिव या उससे ऊपर) की नियुक्ति अनिवार्य है।
  - इस पद के अभाव में, संबंधित मंत्रालयों या संगठनों के **केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) द्वारा जांच की जाती है।**
- **बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता:**
  - प्रारंभिक जांच और अन्वेषण का कार्य **सीबीआई और सीवीसी को सौंपा गया है।**

स्रोत: **The Hindu - Lokpal ordered probe in 24 cases in 5 years**

शोध में भारत में एनीमिया का प्रमुख कारण 'आयरन की कमी' पर सवाल उठाया गया है

संदर्भ

यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में **भारत में एनीमिया के कारणों पर दोबारा गौर किया गया और सुझाव दिया गया कि आयरन की कमी के अलावा अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**

एनीमिया के बारे में -

- **यह एक रक्त विकार है जो तब होता है जब शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएँ या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यह शरीर को अंगों और ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचाने से रोकता है।**
- **वर्तमान फोकस**: नीतियों में आयरन की कमी को प्राथमिक कारण मानकर आयरन अनुपूरण और खाद्य सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **विरोधाभासी डेटा: इन हस्तक्षेपों के बावजूद, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5)** (2019-20) के अनुसार, भारत में एनीमिया का प्रसार बदतर हो गया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष - एनीमिया के कारण

- **आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया:** एनीमिया के केवल 9% मामलों को आयरन की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- **अज्ञात कारण:** 22% मामले बिना मापे या अज्ञात कारकों से जुड़े थे, जिनमें शामिल हो सकते हैं:
    - **विटामिन B12** या **फोलेट** की कमी।
    - **हीमोग्लोबिनोपैथी** (हीमोग्लोबिन को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक विकार)।
    - **अज्ञात रक्त हानि**
    - **अस्वास्थ्यकर वातावरण** या **वायु प्रदूषण**।
- **एनीमिया की व्यापकता: एनएफएचएस-5 से तुलना**:
    - **महिलाएं (15-49 वर्ष)**: **41.1%** (अध्ययन) बनाम **60.8%** (एनएफएचएस-5)।
    - **किशोर लड़कियां (15-19 वर्ष)**: **44.3%** (अध्ययन) बनाम **62.6%** (एनएफएचएस-5)।
- **रक्त संग्रह विधि की भूमिका: शिरापरक रक्त बनाम केशिका रक्त**:
    - अध्ययन में प्रयुक्त शिरापरक रक्त परीक्षण से एनएफएचएस-5 की पिनप्रिक विधि की तुलना में एनीमिया की व्यापकता दर कम पाई गई।
    - पिनप्रिक सैंपलिंग में अशुद्धियां होने का खतरा होता है, जिससे एनीमिया का अनुमान बढ़ सकता है।

स्रोत: **The Hindu - iron deficiency' as key cause of anaemia in India**

इसरो का स्पैडेक्स मिशन और अंतरिक्ष मौसम की भूमिका

संदर्भ

अनुकूल अंतरिक्ष मौसम ने इसरो को डॉकिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद की।

अंतरिक्ष मौसम क्या है?

- **अंतरिक्ष मौसम सौर हवाओं (सूर्य के बाहरी वायुमंडल, सौर कोरोना से उत्सर्जित आवेशित कणों की धारा) के कारण अंतरिक्ष में होने वाली स्थिति है।**
- सौर हवाएं लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं और अंतरिक्ष के वातावरण को प्रभावित करती हैं।
- **सौर गतिविधि चक्र**:
    - सूर्य की गतिविधि **11-वर्षीय चक्र का अनुसरण करती है**, जिसकी गतिविधि को सौर धब्बों की संख्या से मापा जाता है।
    - **वर्तमान चक्र**: 2019 के अंत में शुरू हुआ और नवंबर 2023 में अपने अधिकतम चरण पर पहुंच गया। वर्तमान में, सौर गतिविधि बढ़ी हुई है।

उपग्रहों और अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष मौसम का प्रभाव

- **अंतरिक्ष यान के लिए चुनौतियाँ:** उच्च ऊर्जा वाले सौर विकिरण सेंसरों को अंधा कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- **चुंबकीय तूफान** (जैसे, कोरोनाल मास इजेक्शन या उच्च गति वाली सौर पवन धाराएं) **संचार को बाधित कर सकते हैं और अंतरिक्ष यान में स्थिति संबंधी त्रुटियां पैदा कर सकते हैं।**
- **परिशुद्ध डॉकिंग**: टकराव या क्षति से बचने के लिए नगण्य सापेक्ष वेग और डॉकिंग पोर्ट के सटीक संरेखण की आवश्यकता होती है।
    - प्रतिकूल अंतरिक्ष मौसम ऐसे कार्यों में जटिलताएं और अनिश्चितताएं जोड़ता है।

स्पैडेक्स की सफलता में अंतरिक्ष मौसम की भूमिका

- **अनुकूल सौर परिस्थितियाँ:**
    - चालू सौर चक्र 25 में बढ़ी हुई सौर गतिविधि के बावजूद, स्पैडेक्स मिशन से पहले के दिनों में सौर धब्बों की गतिविधि कम और चुंबकीय गड़बड़ी न्यूनतम देखी गई।
- **संभावित खतरों से बचा जा सकता है**:
    - शक्तिशाली सौर ज्वालाओं या चुंबकीय तूफानों के कारण संचार में क्षति, सेंसर में खराबी या स्थितिगत अशुद्धियां हो सकती थीं, जिससे डॉकिंग प्रक्रिया जटिल हो सकती थी।

स्रोत: Indian Express - Space Weather
Indian Express - Role of sun

पिक्सलस्पेस द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह

संदर्भ

फायरफ्लाई उपग्रह समूह के पहले तीन उपग्रहों को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 मिशन के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।

फायरफ्लाई तारामंडल के बारे में -

- **फायरफ्लाई, पिक्सल का प्रमुख हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह समूह है, जिसमें छह उच्चतम-रिजोल्यूशन वाले वाणिज्यिक हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं।**
- उपग्रहों को महत्वपूर्ण जलवायु और पृथ्वी संबंधी जानकारी बेजोड़ परिशुद्धता के साथ उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है।
- उपग्रह समूह(satellite constellation) एक ही उद्देश्य और साझा नियंत्रण वाले समरूप कृत्रिम उपग्रहों का एक नेटवर्क है, जिसे एक प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

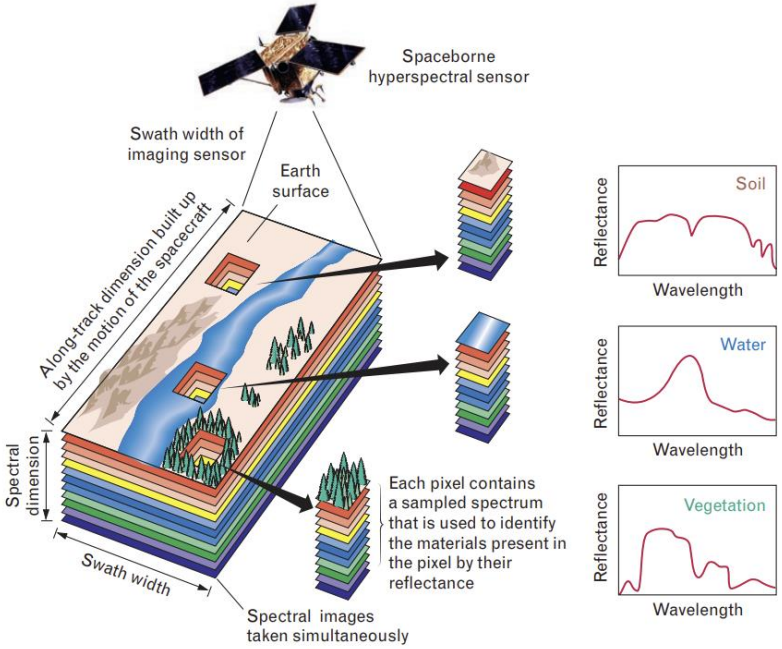

हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह

- हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का विश्लेषण करने के लिए स्पेक्ट्रल इमेजिंग का उपयोग करते हैं।
- वे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक विवरण देखने और अद्वितीय वर्णक्रमीय हस्ताक्षरों की पहचान करने में मदद मिलती है।

स्रोत: **PIB - private satellite constellation by PixxelSpace**

2024-25 के लिए संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) नीति

संदर्भ

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 2024-25 के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) नीति में प्रमुख संशोधनों की घोषणा की है।

प्रमुख संशोधनों के बारे में -

- **चावल के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण:** चावल का आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय) निर्धारित किया गया है।
    - यह राज्य सरकारों, राज्य सरकार निगमों और सामुदायिक रसोई में की गई बिक्री पर लागू है।
    - ये संस्थाएं ई-नीलामी में भाग लिए बिना चावल खरीद सकती हैं।
- **इथेनॉल डिस्टिलरी के लिए आरक्षित मूल्य:** इथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित चावल का भी निर्धारित आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल (अखिल भारतीय) होगा।

खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) के बारे में -

- **यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा रखे गए खाद्यान्न के अतिरिक्त स्टॉक को कम करना है।**
- इस योजना का उद्देश्य बाजार मूल्यों को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है।
- इस योजना के तहत, **FCI** केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न (विशेष रूप से गेहूं और चावल) को ई-नीलामी के माध्यम से व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं, खुदरा श्रृंखलाओं आदि को पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में बेचता है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

- खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वैधानिक निकाय
- **स्थापना वर्ष**: 1965
- **नोडल मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
- **भूमिका**: सरकार की खाद्य नीतियों का क्रियान्वयन।
- **उद्देश्य:**
    - किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन।
    - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण।
    - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखना।

स्रोत: [PIB - Revised Open Market Sale Scheme (Domestic)]

रूस और ईरान ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ

हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए।

संधि के प्रमुख फोकस क्षेत्र

- **आर्थिक सहयोग:** दोनों नेताओं ने वर्तमान व्यापार स्तर को अपर्याप्त माना तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा।
- **ऊर्जा परियोजनाएं:** रूस और ईरान रूसी प्राकृतिक गैस को ईरान तक पहुंचाने के लिए तकनीकी मुद्दों को सुलझाने पर काम कर रहे हैं।
- **परिवहन अवसंरचना:** संधि में रूस को खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों से जोड़ने वाले परिवहन गलियारे विकसित करने की योजना शामिल है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता और विकास:** इस साझेदारी से दोनों देशों और व्यापक क्षेत्र के सतत विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।

भू-राजनीतिक संदर्भ

- **प्रतिबंध:** रूस और ईरान दोनों ही गंभीर पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, जिससे घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता बढ़ रही है।
- **भू-राजनीतिक संरेखण:** रूस और ईरान इस क्षेत्र में, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने में समान हित साझा करते हैं।
- **विगत सहयोग:** ऐतिहासिक संबंधों में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं तथा सीरिया और यूक्रेन में आपसी सहयोग शामिल हैं।

स्रोत: **The Hindu - Russia and Iran sign treaty to deepen their ties**

समाचार संक्षेप में

शिकायत अपील समितियां (GAC)

- **GAC एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र है जो उन उपयोगकर्ताओं की अपीलों को संभालता है जो सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा लिए गए निर्णयों से व्यथित हैं।**
- इसकी स्थापना **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत** की गई थी।
- **शक्तियां:**
    - सामग्री हटाने या पुनः स्थापित करने का निर्णय लेना।
    - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा खातों के निलंबन या 'डिप्लेटफॉर्मिंग' को रद्द करना।
    - **GAC** के निर्णय मध्यस्थों पर बाध्यकारी होते हैं।

स्रोत: **The Hindu - Social media firms largely compliant with rulings**

NATGRID (राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड)

- दिल्ली पुलिस आयुक्त ने जिला पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को अपराधियों और संदिग्धों पर नज़र रखने के लिए NATGRID का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है।
- **NATGRID गृह मंत्रालय द्वारा संकलित एक डेटाबेस है जिसमें एजेंसियों को संदिग्धों की पहचान और निगरानी करने में मदद करने के लिए डेटा के 24 से अधिक सेट शामिल हैं।**
- **इसमें डेटा के 24 से अधिक सेट शामिल हैं**: आव्रजन रिकॉर्ड, बैंकिंग विवरण, यात्रा इतिहास, फोन डेटा आदि।
- **उत्पत्ति**: मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला, जिसने इस कमी को उजागर किया कि सुरक्षा एजेंसियों के पास वास्तविक समय के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए कोई तंत्र नहीं था।
- **विशेषताएँ:**
    - NATGRID का डेटा भंडार किसी व्यक्ति या संस्था के सभी डिजिटल फुटप्रिंट्स को एकत्रित करता है।
    - यह देश भर में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के बारे में वास्तविक समय की खुफिया जानकारी प्रदान करता है।

स्रोत: **Indian Express - Top court authorises use of NATGRID**

प्रधानमंत्री ने मिशन SCOT की सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा की सराहना की

- हाल ही में दिगंतारा ने अंतरिक्ष सुरक्षा बढ़ाने और रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स (RSO) को ट्रैक करने के लिए स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 मिशन पर अपना एससीओटी उपग्रह लॉन्च किया।
- **मिशन SCOT दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (SSA) उपग्रह है। यह बेहतर दक्षता के साथ लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) की निगरानी करेगा।**
- यह मिशन आदित्य बिड़ला वेंचर्स और सिडबी द्वारा समर्थित है।
- यह सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 5 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी सुनिश्चित करेगा।

स्रोत: **PIB - success of Mission SCOT**

करनाली जलविद्युत परियोजना

- **नेपाल में अपर करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम रूप दिया है।**
- **करनाली नदी: यह तिब्बत के माचा-खबाब** से निकलती है और नेपाल से होकर भारत में घाघरा नदी से मिलती है।
    - इसे **तिब्बत में मापचा त्सांगपो के नाम से भी जाना जाता है।**
- **करनाली जलविद्युत परियोजना:**
    - **यह एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है जो नेपाल से भारत और बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगी।**
    - रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग किया जाता है।
- **करनाली जलविद्युत परियोजना नेपाल की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।**

स्रोत: **PIB - Upper Karnali Hydropower Project in Nepal**

संपादकीय सारांश

आर्थिक विकास

संदर्भ

- 2024-25 के लिए राष्ट्रीय खातों का पहला अग्रिम अनुमान (एफएई) 6.4% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि और 9.7% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर्शाता है।
- ये संख्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिसंबर 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के लिए 6.6% के संशोधित विकास अनुमान से कम हो गई है और जुलाई 2024 में प्रस्तुत 2024-25 के केंद्रीय बजट के अनुसार नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए 10.5% है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- 2024-25 की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि 6% थी, और दूसरी छमाही में सुधार होकर 6.7% होने की उम्मीद है।
- सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) जीडीपी के लगभग 33.4% पर स्थिर हो गया।
- 2025-26 के लिए वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) 5.1 अनुमानित है।
- पहले आठ महीनों के लिए भारत सरकार का पूंजीगत व्यय ₹5.14 लाख करोड़ था, जो वार्षिक बजट लक्ष्य ₹11.1 लाख करोड़ का केवल 46.2% था।
- पहले आठ महीनों के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) की वृद्धि 1.1 की उछाल के साथ 10.7% थी, जो बजटीय 1.03 से अधिक थी।

तथ्य

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, अगले पांच वर्षों के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% अनुमानित है।
- नाममात्र जीडीपी वृद्धि 10.5% -11% की सीमा में रहने की उम्मीद है, जिसमें मुद्रास्फीति (आईपीडी) 4% होगी।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में गिरावट

- **उच्च आधार प्रभाव**: 2023-24 में 8.2% की वृद्धि ने एक उच्च आधार बनाया**,** जिससे अगले वर्ष की वृद्धि धीमी दिखाई देती है।
- **सरकारी खर्च और मंदी**:
    - **पूंजीगत व्यय** (**Capex**): केंद्र ने नवंबर 2024 तक वार्षिक पूंजीगत व्यय लक्ष्य का केवल 46.2% खर्च किया, जबकि पिछले वर्ष यह 58.5% था।
    - राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित ₹1.5 ट्रिलियन में से केवल ₹0.88 ट्रिलियन का उपयोग किया।
    - राजस्व व्यय में साल-दर-साल केवल 1% की वृद्धि हुई, जो धीमी पूंजीगत व्यय वृद्धि की भरपाई करने में विफल रहा।
    - ब्याज भुगतान केंद्र के व्यय का 19% खर्च करता है, जिससे राजकोषीय लचीलापन बाधित होता है।
- **निजी और कॉर्पोरेट निवेश**: 2005-06 के बाद निजी कॉर्पोरेट बचत बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 10.7% हो गई**,** फिर भी निश्चित पूंजी निर्माण 2007-08 में 27.5% से घटकर 21.5% (2015-2021) हो गया।
    - कर कटौती के बावजूद कॉर्पोरेट निवेश कमजोर बना हुआ है।

- **विनिर्माण और वैश्विक अनिश्चितता**: विनिर्माण वृद्धि 2023-24 में 9.9% से गिरकर 2024-25 में 5.3% हो गई।
    - वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और कमजोर बाह्य मांग ने घरेलू चुनौतियों को बढ़ा दिया।
- **कृषि आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे**: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और दूध उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ-साथ सब्जी आपूर्ति श्रृंखला में अकुशलता भी आई, जिसके कारण कीमतों में उछाल आया।

क्या किया जाने की जरूरत है

सरकारी व्यय और राजकोषीय नीति

- **पूंजीगत व्यय में तेजी लाना**: निजी निवेश को बढ़ाने और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए 2025-26 में पूंजीगत व्यय वृद्धि को कम से कम 20% तक बढ़ाना।
    - बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च गुणक वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।
- **व्यय की गुणवत्ता में सुधार**: प्रभावी प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए राजस्व व्यय की तुलना में सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता दें।
    - राजकोषीय घाटे को कम करके और ब्याज भुगतान को कम करके राजकोषीय समेकन बनाए रखें।
- **राज्य निवेश को प्रोत्साहित करना**: ऐसी शर्तें जारी रखें जो राज्यों को अपना पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- **कर सुधार**: उत्पादक क्षेत्रों में संसाधनों को लगाने के लिए कॉर्पोरेट गैर-व्यावसायिक आय पर कर लागू करना, निवेश कर क्रेडिट के साथ समायोजन करना।
    - उपभोग और व्यय को बढ़ाने के लिए निचले स्लैब के लिए आयकर कम करें।
    - खामियों को दूर करके और कर आधार को व्यापक बनाकर कर संरचना को सरल बनाएं।

निवेश और कारोबारी माहौल

- **निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करना**: कॉर्पोरेट स्थायी पूंजी निर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं का समाधान करना।
    - रोजगार सृजन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लक्षित प्रोत्साहन डिजाइन करें।
- **विनियमनों को सरल बनाना**: व्यवसायों के लिए विनियामक जटिलताओं को कम करने के लिए स्थानीय शासन स्तर तक सुधारों को लागू करना।
    - व्यापार अनुकूल नीतियों के माध्यम से वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए राज्य प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाना।

कृषि सुधार

- **फसल विविधीकरण और विपणन**: एमएसपी-निर्भर फसलों से हटकर विविधीकरण को बढ़ावा दें, क्योंकि विविध उत्पादन से अधिक लाभ होता है।
    - निजी बाजारों और प्रत्यक्ष फार्म गेट बिक्री की सुविधा प्रदान करना।
    - कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और खाद्य रसद में अकुशलताओं को दूर करना।
- **खाद्य आपूर्ति स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना**: सब्जी और खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिए एकीकृत नीतियां विकसित करना।

मौद्रिक नीति और मांग प्रोत्साहन

- **कम ब्याज दरें**: जैसे ही मुद्रास्फीति कम हो जाती है, आवास और टिकाऊ वस्तुओं की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तविक ब्याज दरों को कम करना।
    - मांग को बढ़ाने के लिए कम उधार लागत का उपयोग करना, विशेष रूप से भारत की युवा आबादी के बीच।

- **उत्पादन आवश्यकताओं के साथ बजट को संरेखित करना**: उत्पादन की स्थिति में सुधार लाने के लिए बजटीय नीतियों को डिजाइन करें, जिससे कम लागत पर अधिक उत्पादन संभव हो सके।
    - मात्र संसाधन आवंटन की तुलना में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए प्रोत्साहनों को प्राथमिकता देना।

स्रोत: **The Hindu: India's real growth rate and the forecast**
Indian Express: incentives, not just resources

भारत-तालिबान संबंध

संदर्भ

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में दूसरे तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

वर्षों से संबंध

2021 में समूह के पुनरुत्थान के बाद से तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के घनिष्ठ संबंधों और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति उसकी नीतियों के कारण ऐतिहासिक अनिच्छा के बावजूद, भारत ने धीरे-धीरे अफगानिस्तान में जमीनी स्तर पर बदलती वास्तविकताओं के अनुसार अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित किया है।

प्रारंभिक अनिच्छा और मूल्यांकन (2000)

- वर्ष 2000 में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त विजय के. नांबियार और तालिबान के दूत मुल्ला अब्दुल सलाम जईफ के बीच हुई बैठक के बाद नांबियार ने तालिबान के साथ बातचीत की संभावना को धूमिल बताया था।
- उन्होंने माना कि तालिबान पाकिस्तान के प्रभाव क्षेत्र में गहराई से जमे हुए हैं, जिससे भारत के लिए गंभीर संपर्क मुश्किल हो गया है।
- यह आकलन भारत और तालिबान के बीच वैचारिक और राजनीतिक दूरी पर आधारित था।

अमेरिकी वापसी के बाद पहला संपर्क (अगस्त 2021)

- **अगस्त 2021**: जैसे ही अमेरिकी सेना वापस लौटी और तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया, भारत ने नई तालिबान सरकार के साथ अपना पहला आधिकारिक संपर्क शुरू किया।
    - कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई से मुलाकात की।
    - यह बैठक तालिबान के अनुरोध और भारत के साथ संबंध बनाए रखने की उनकी मंशा से प्रेरित थी।
- भारत ने तालिबान के बहिष्कारपूर्ण मंत्रिमंडल तथा जातीय अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व की कमी पर अपनी चिंता व्यक्त की।
    - हालाँकि, तालिबान ने भारत को आश्वस्त किया कि वह भारत की चिंताओं को दूर करने में "उचित" कदम उठाएगा।

मानवीय सहायता और राजनयिक जुड़ाव (2021-2022)

- **सितंबर 2021**: भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान में वास्तविक शक्ति के रूप में स्वीकार किया, और उन्हें "शक्ति और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों" के रूप में संदर्भित किया।
    - भारत ने अफगानिस्तान को 1.6 टन आवश्यक दवाइयां भेजने का कदम उठाया।
- **दिसंबर 2021**: भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी, जिससे तालिबान सरकार और अफगान लोगों के बीच अंतर करने की उसकी मंशा मजबूत हुई।
    - इसमें खोस्त और पक्तिका में आए घातक भूकंप के बाद आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और योगदान शामिल थे।
- **जून 2022**: भारत ने सहायता वितरण की निगरानी के लिए संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल काबुल भेजा।
    - प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की, जो तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

- **2022-2023**: भारत ने खाद्य, चिकित्सा आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देना जारी रखा।
    - भारत ने सहायता कार्यों की निगरानी के लिए काबुल स्थित अपने दूतावास में एक "तकनीकी टीम" भी तैनात की है।

बदलता कूटनीतिक रुख (2022-2024)

- **दिसंबर 2022**: भारत ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले पर चिंता व्यक्त की और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने वाली समावेशी सरकार के लिए अपना आह्वान दोहराया।
    - भारत ने अफगानिस्तान की मानवीय जरूरतों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा तथा तालिबान से अधिक समावेशी शासन की मांग जारी रखी।
- **अक्टूबर 2023**: नई दिल्ली में अफगान दूतावास ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए परिचालन बंद कर दिया, जिससे राजनयिक संपर्क में गिरावट आई।
    - इसके बावजूद, भारत में अफगान राजनयिकों ने मिशन का प्रबंधन जारी रखा।

2024 में जुड़ाव फिर से शुरू

- **जनवरी 2024**: काबुल में भारतीय राजनयिकों ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ अपनी पहली हाई-प्रोफाइल बैठक की।
    - बैठक से संबंधों में और अधिक मधुरता आने तथा अधिक संरचित सहभागिता की ओर बदलाव का संकेत मिला।
- भारत का सतर्क दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित था कि अफगान धरती से किसी भी भारत-विरोधी आतंकवादी गतिविधि की अनुमति न दी जाए।
- चर्चा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रयासों के इर्द-गिर्द भी घूमी, जहां तालिबान ने भारत की भागीदारी का स्वागत किया, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में।

भारत की मुख्य चिंताएं और रणनीतिक गणनाएं

तालिबान के साथ भारत की भागीदारी कई कारकों से प्रेरित है:

- **सुरक्षा**: भारत, अफगानिस्तान को भारत-विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए आश्रय स्थल बनने से रोकने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- **भू-राजनीतिक गतिशीलता**: चीन, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के अफगानिस्तान में पैठ बनाने के साथ, भारत ने देश में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की है।
    - भारत भी इस बात के प्रति सचेत रहा है कि वह अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों के विकास में पीछे न रह जाए।
- **मानवीय सहायता**: भारत मानवीय सहायता का एक महत्वपूर्ण प्रदाता रहा है, जो अफगान लोगों को समर्थन देने की इसकी दीर्घकालिक नीति के अनुरूप है।

दृष्टिकोण और चुनौतियाँ

- **वीज़ा और व्यापार संबंध**: 2024 में, तालिबान ने भारत से अफगान व्यापारियों, छात्रों और रोगियों के लिए वीज़ा जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन रसद और सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं।
    - भारत ने अफगानिस्तान में रुकी हुई विकास परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी प्रतिबद्धता जताई है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकते हैं।
- **राजनीतिक भागीदारी**: भारत के बढ़ते व्यावहारिक दृष्टिकोण के बावजूद, वह तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने से बच रहा है।

- हालाँकि, नई दिल्ली इस क्षेत्र में अपने मानवीय और सामरिक हितों के साथ अपनी सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करते हुए व्यावहारिक तरीके से संलग्न होने के लिए तैयार है।

स्रोत: **Indian Express: Engaging with the Taliban**

विस्तृत कवरेज

रैट-होल खनन(Rat Hole Mining)

संदर्भ

6 जनवरी, 2025 को असम के दीमा हसाओ जिले में एक रैट-होल खदान में पानी भर गया, जिससे नौ लोग फंस गये।

अन्य घटनाएँ

- दिसंबर 2018 में, पड़ोसी राज्य मेघालय में एक अवैध खदान में कम से कम 15 लोग फंस गए थे, जब पास की एक नदी का पानी खदान में भर गया था।
- जनवरी 2024 में नागालैंड राज्य में एक रैट-होल कोयला खदान में आग लगने से छह श्रमिकों की मौत हो गई।

रैट होल खनन के बारे में -

- **रैट-होल खनन कोयला निष्कर्षण की एक आदिम और खतरनाक विधि है जो भारत के कुछ क्षेत्रों, विशेषकर मेघालय में प्रचलित है।**
- इस तकनीक में कोयले की परतों तक पहुंचने के लिए जमीन में संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिनका व्यास प्रायः 3 से 4 फीट होता है।
- खनिक, जिनमें कभी-कभी बच्चे भी शामिल होते हैं, इन सीमित स्थानों से होकर बुनियादी औजारों का उपयोग करके कोयला निकालते हैं।
- **रैट-होल खनन के दो मुख्य प्रकार हैं:**
    - **साइड कटिंग**: संकीर्ण सुरंगों को पहाड़ी ढलानों में क्षैतिज रूप से तब तक खोदा जाता है जब तक कि कोयला सीम तक नहीं पहुंच जाते।
    - **बॉक्स कटिंग**: सतह पर एक आयताकार छेद बनाया जाता है, जो एक ऊर्ध्वाधर गड्ढे की ओर जाता है जो कोयले की परत तक पहुंचता है। इस गड्ढे से कोयला निकालने के लिए क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं।

सरकारी कार्रवाई

- **2014 में एनजीटी प्रतिबंध**: **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 2014 में मेघालय में रैट-होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था।**
    - यह प्रतिबंध इस खनन पद्धति की असुरक्षित एवं अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ-साथ इसके हानिकारक पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के कारण लगाया गया था।
- **2019 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय**: सर्वोच्च न्यायालय ने अनियमित रैट-होल खनन पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि मेघालय में कोयला खनन किया जा सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित का अनुपालन किया जाए:
    - **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम)**।
    - **खनिज रियायत नियम, 1960**
- प्रतिबंध के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अवैध रूप से रैट-होल खनन जारी है।
    - **उदाहरण के लिए,** असम सरकार ने दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो क्षेत्र में 220 रैट-होल कोयला खदानों का पता लगाया है।

इसके प्रचलन के क्या कारण हैं?

- **कम सरकारी नियंत्रण**: 1973 का कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम लागू नहीं होता, जिससे स्थानीय समुदायों को बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के कोयला निकालने और बेचने की अनुमति मिलती है।
    - **उदाहरण के लिए,** छठी अनुसूची वाले राज्य मेघालय में भूमि और खनिजों का स्वामित्व आदिवासी भूस्वामियों के पास है, जिससे सरकारी नियंत्रण सीमित हो जाता है।
- **आर्थिक प्रोत्साहन**: खनन कार्य, कृषि या निर्माण कार्य की तुलना में मजदूरों को अधिक आय प्रदान करता है, जिससे असम, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से श्रमिक आकर्षित होते हैं।
- **भौगोलिक कारक**: राज्य का पहाड़ी इलाका और पतली कोयला परतें पारंपरिक खनन विधियों को अव्यावहारिक बनाती हैं।
    - रैट-होल खनन लागत प्रभावी है और इसमें न्यूनतम मशीनरी की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय भूगोल के अनुकूल है।

रैट-होल खनन से जुड़े मुद्दे

- **वातावरण संबंधी मान भंग**:
    - **भूमि क्षरण**: बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और अवैज्ञानिक खनन से भूमि बंजर और अनुत्पादक हो जाती है।
    - **जल प्रदूषण**: अम्लीय खदानों से निकलने वाला अपशिष्ट नदियों और झरनों को प्रदूषित कर देता है, जिससे वे अम्लीय हो जाते हैं और जलीय जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं।
        - **उदाहरणार्थ**, मेघालय में लुखा और मिंटडू नदियाँ।
    - **जैव विविधता की हानि**: खनन गतिविधियाँ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती हैं और स्थानिक प्रजातियों के आवास को नष्ट करती हैं।
- **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा खतरे**:
    - **असुरक्षित कार्य स्थितियां**: महिलाओं और बच्चों सहित खनिक, तंग, खराब हवादार शाफ्टों में काम करते हैं, जिससे दम घुटने और गिरने का खतरा बना रहता है।
    - **बार-बार दुर्घटनाएं**: संरचनात्मक समर्थन की कमी से अक्सर खदानें ढह जाती हैं, बाढ़ आ जाती है और मौतें होती हैं।
        - **उदाहरण के लिए,** 2018 में मेघालय में **कसान खनन त्रासदी में** 17 लोगों की जान चली गई।
    - **स्वास्थ्य जोखिम**: कोयले की धूल और जहरीली गैसों के लगातार संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी रोग और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

    - **उदाहरणार्थ**, श्वासावरोध।
- **श्रम शोषण**:
    - **बाल एवं प्रवासी श्रम**: इस प्रथा में प्रायः कम आयु वाले एवं प्रवासी श्रमिकों को नियोजित किया जाता है, तथा उनकी आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाया जाता है।
    - **कम मजदूरी और खराब जीवन स्थितियां**: कृषि नौकरियों से अधिक कमाई के बावजूद, खनिकों को अक्सर शोषणकारी अनुबंधों और असुरक्षित जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **आजीविका विकास:** ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है जो आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराते हैं।
    - इसमें कौशल विकास पहल शामिल हो सकती है जिसका उद्देश्य खनन से परे रोजगार के अवसरों में विविधता लाना है, जैसे पर्यटन, कृषि या हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसे कार्यक्रमों का लाभ उठाकर रैट-होल खनन पर निर्भर लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
- **सूक्ष्म-वित्तपोषण:** सूक्ष्म-वित्तपोषण विकल्प स्थापित करने से स्थानीय उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सकती है। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, खनन गतिविधियों पर निर्भरता कम होगी।
- **यंत्रीकृत खनन तकनीक:** पतली परतों से कोयला निकालने के लिए उपयुक्त सुरक्षित, यंत्रीकृत खनन विधियों में अनुसंधान और निवेश से सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
    - बोर्ड और पिलर खनन या छोटे पैमाने पर मशीनीकृत खनन जैसी तकनीकें खतरनाक रैट-होल विधि का स्थान ले सकती हैं।
- **सुरक्षा नवाचार:** मौजूदा खनन प्रथाओं के लिए सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास और कार्यान्वयन जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।
    - इसमें खदानों में बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम और संरचनात्मक सहायता शामिल है।
- **सख्त प्रवर्तन:** रैट-होल खनन पर मौजूदा प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन को मजबूत करना आवश्यक है।
    - इसमें अवैध परिचालनों के लिए कठोर दंड लगाना भी शामिल है, जो नियामक ढांचे के बावजूद जारी है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** खनन गतिविधियों से संबंधित निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और नियमों के पालन को बढ़ावा मिलेगा।
- **सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम:** खनिकों को सुरक्षा प्रथाओं पर सशक्त प्रशिक्षण प्रदान करने से रैट-होल खनन से जुड़ी दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
    - इस पद्धति के खतरों के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को सुरक्षित विकल्पों के बारे में जानकारी दी जा सके।

स्रोत: **The Hindu: Dying for Black Gold**
The Hindu: Understanding rat-hole mining
Mongabay: Meghalaya's black holes: Unregulated rat-hole coal mines ravage environment